



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

31 आषाढ़ 1943 (श०)

(सं० पटना 611) पटना, बृहस्पतिवार, 22 जुलाई 2021

सं० 08/आरोप-01-03/2016-7011/सा0प्र0
सामान्य प्रशासन विभाग

संकल्प

13 जुलाई 2021

श्री सुभाष नारायण, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक-1145/11, अनुमंडल पदाधिकारी-सह-विशेष कार्य पदाधिकारी, कृषि उत्पादन बाजार समिति फारबिसगंज के विरुद्ध बिहार कृषि उपज बाजार (निरसन) अधिनियम 2006 के प्रतिकूल कार्य करने, विभाग से स्पष्ट मार्गदर्शन प्राप्त नहीं रहने के बावजूद भूमि को लीज पर स्वीकृति दिये जाने, बिना सार्वजनिक सूचना प्रकाशित किये एक व्यक्ति को भूमि लीज पर आवंटित करने तथा फर्जी आधार पर कार्रवाई करने संबंधी आरोपों के लिए कृषि विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 1944 दिनांक 18.06.2016 द्वारा आरोप पत्र अनुशासनिक कार्रवाई हेतु प्राप्त हुआ।

श्री नारायण के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोपों के आलोक में विभागीय स्तर पर गठित एवं अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा अनुमोदित आरोप पत्र संलग्न करते हुए विभागीय पत्रांक-9441 दिनांक 05.07.2016 द्वारा उनसे स्पष्टीकरण की मांग की गयी। श्री नारायण द्वारा अपना स्पष्टीकरण दिनांक 19.01.2017 विभाग में समर्पित किया गया। श्री नारायण से प्राप्त स्पष्टीकरण पर पत्रांक 2072 दिनांक 21.02.2017 द्वारा कृषि विभाग, बिहार से मंतव्य की मांग की गयी। उक्त के क्रम में कृषि विभाग से पत्रांक 1769 दिनांक 03.06.2019 द्वारा प्राप्त मंतव्य में श्री नारायण के स्पष्टीकरण को स्वीकार योग्य नहीं बताया गया। समीक्षोपरांत आरोपों की गम्भीरता को देखते हुए मामले की विस्तृत जांच हेतु विभागीय संकल्प ज्ञापांक-10805 दिनांक 06.08.2019 द्वारा श्री नारायण के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की गयी।

उक्त के क्रम में मुख्य परामर्शी, बिहार राज्य योजना पर्षद-सह-जांच आयुक्त, पटना के पत्रांक-197 दिनांक 12.11.2020 द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। जिसमें संचालन पदाधिकारी द्वारा श्री नारायण के विरुद्ध गठित कुल चार आरोपों में से आरोप संख्या 01, 02 एवं 04 को अप्रमाणित तथा आरोप संख्या 03 को आंशिक रूप से प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया। संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की प्रति संलग्न करते हुए विभागीय पत्रांक-12272 दिनांक 21.12.2020 द्वारा श्री नारायण से लिखित अभिकथन की मांग की गयी। श्री नारायण द्वारा अपना लिखित अभिकथन (दिनांक 06.04.2021) विभाग में समर्पित किया गया।

श्री नारायण के विरुद्ध गठित आरोप, संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जांच प्रतिवेदन एवं उनसे प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर पर की गयी। समीक्षोपरांत पाया गया कि श्री नारायण द्वारा अपने लिखित अभिकथन में वही बातें कही गयी हैं एवं साक्ष्य संलग्न किया गया है जो उन्होंने संचालन पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया था, जिसके समीक्षोपरांत ही संचालन पदाधिकारी द्वारा विश्लेषण एवं जांच परिणाम में स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है कि सूचना प्रकाशन से संबंधित साक्ष्य आरोपित पदाधिकारी द्वारा समर्पित किया गया, परन्तु अभिलेख के आदेश फलक में किसी भी तिथि को अंकित आदेश में इसका उल्लेख नहीं है। जहाँ तक एक व्यक्ति अर्थात् श्री गोपाल कुमार अग्रवाल को लीज पर भूमि बन्दोबस्त करने से संबंधित कार्रवाई का प्रश्न है, इस संबंध में अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि एक व्यक्ति अर्थात् श्री गोपाल कुमार अग्रवाल के द्वारा धर्मकाटा हेतु लीज पर बन्दोबस्ती दिये जाने हेतु आवेदन देने के पश्चात अभिलेख में सभी कार्रवाई प्रारंभ की गयी है। हांलाकी बन्दोबस्ती के पूर्व सार्वजनिक रूप से अनापत्ति प्राप्त करने से संबंधित कार्रवाई से संबंधित साक्ष्य उपस्थापित किया गया है। परन्तु सार्वजनिक अनापत्ति प्राप्त करने के लिए की गई कार्रवाई का उल्लेख नहीं है। उपर्युक्त समीक्षा से यह प्रतीत होता है कि सार्वजनिक अनापत्ति प्राप्त करने से संबंधित कार्रवाई का उल्लेख अभिलेख में नहीं रहने के कारण तीसरा आरोप आंशिक रूप से प्रमाणित पाया गया।

उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में सम्यक विचारोपरांत श्री सुभाष नारायण, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक-1145/11, अनुमंडल पदाधिकारी-सह-विशेष कार्य पदाधिकारी, कृषि उत्पादन बाजार समिति फारबिसगंज के अभ्यावेदन/लिखित अभिकथन अस्वीकार करते हुए कर्तव्यों के निर्वहन में बरती गयी लापरवाही के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम-14 के संगत प्रावधानों के तहत निम्नांकित दंड अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है:-

1. निन्दन (वर्ष-2015-16) तथा
2. दो वेतन वृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
ek0 fl jkt lhu v l kjh,
सरकार के अवर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 611-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>